

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 05/2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री शकील अहमद पुत्र श्री यामीन
फैज खाजा गेस्ट हाउस,
जैन पण्डाल, लाखन कोटडी, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 17.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2024 को जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल में जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहरी क्षेत्र में श्री शकील अहमद मार्फत फैज खाजा गेस्ट हाउस जैन पण्डाल लाखन कोटडी अजमेर पहुंचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है।

अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर कालू खान प्रतिनिधि गुलाब गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कार्ट में वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	06156 एस	BPCL	15.5	18.2	2.7
2	417042 ई	IOCL	16.0	20.1	4.1

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 6.8 किलोग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

102
जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के नोटिस अदम्यतामिल प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी से अप्रार्थी के पते के संबंध में जानकारी चाही गई तो अवगत कराया गया कि अप्रार्थी उक्त पते पर ही मिला था। साथ ही पैरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि अप्रार्थी बाहर चला गया अतः पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पैरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.12.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 6.8 किलोग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 6.8 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 6.8 किग्रा एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इन्वॉयस सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

